


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 357866



सहायक आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना - लखनऊ

भावदी
180/-


29/3-6/16 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
गुपि हाउसिंग भूखण्ड के लिए किराया किश्त कय का अनुबन्ध

यह अनुबन्ध आज दिनांक.....20.....माह.....10..... दो हजार 2010.....
को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन
संगठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद जिसका प्रधान कार्यालय
लखनऊ में है और जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के जिसे एतदपश्चात
'स्वामी' कहा गया है, जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि कोई बात प्रसंग से
असंगत न हो, उसका उत्तराधिकारी या समनुदेशिनी भी है या जिसका
तात्पर्य इसके उत्तराधिकारी या समनुदेशिनी भी है।

कमश: 2 पर

26/3/16
भावदी

सहायक आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना - लखनऊ



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 35786

SEP 2010

(2)


माध्यम से होता है । एक पक्ष और मैसर्स ओमनी फर्मस प्राइवेट लि० द्वारा श्री टी०के०दीक्षित पुत्र स्व० श्री सी०एस० दीक्षित पता निवासी-21-A, अशोक एवन्यूअशोक मार्ग, लखनऊ जिसे एतत्पश्चात किराया-किश्त क्रेता कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि प्रसंग या अर्थ से कोई बात असंगत न हो, इसमें एतत्पश्चात यथा उपबन्धित अनुमोदित नाम निर्देशिती और उसके न होने पर उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिती भी है, दूसरे पक्ष के बीच किया गया ।

चूंकि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की एक ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड आवंटन योजना के अधीन किराया-किश्त क्रेता ने स्वामी से किराया किश्त कय, योजना के अधीन एक व्यावसायिक भूखण्ड का आवंटन करने के लिये पृथक् रूप से आवेदन किया है और स्वामी ने एतत्पश्चात निर्धारित निबन्धन और शर्तों पर किराया-किश्त क्रेता को ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का आवंटन करने के लिए आवंटित करने की सहमति दे दी है ।

कमश: 3 पर

जायदी

सहारनगर आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना - लखनऊ



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 357865

21 SEP 2010

(3)


और चूँकि किराया-किश्त क्रेता ने रु० 7,93,60,991.00 (शब्दों में केवल रु० सात करोड़ तिरान्नबे लाख साठ हजार नौ सौ इक्यानबे मात्र) का भुगतान प्रथम किश्त के रूप में कर दिया है जिसमें टोकन हेतु जमा बयाना धनराशि सम्मिलित है। अब यह विलेख इस बात का साक्षी है कि स्वामी एतद्वारा किराया-किश्त क्रेता से प्रसंविदा करता है और सहमत है और किराया-किश्त भी एतद्वारा स्वामी से निम्नलिखित रीति से प्रसंविदा करता है और सहमत है अर्थात्।

1- किराया-किश्त क्रेता को गुप हाउसिंग भूखण्ड के रूप में, सम्पत्ति का जिसकी संख्या 9D/GH-1 है और जो वृन्दावन योजना संख्या-2 के भाग-2 लखनऊ में सेक्टर संख्या 9D में स्थित है। और जिसे अधिक स्पष्ट करने के लिये इसमें आगे दी गयी अनुसूची-एक में सीमाओं के साथ अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है, कब्जा दिया जायेगा।

कमश: 4 पर

[Signature]
आवदी

सदर क ओरिजिनल आवुक्त
वृन्दावन योजना - लखनऊ



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 357879

(4)

21 SEP 2010

2-किराया-किश्त क्रेता उक्त सम्पत्ति किरायेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन 10 (दस) वर्ष की एक नियत अवधि है और जिसके प्रारम्भ का दिनांक वही होगा जो आवंटन पत्र का दिनांक होगा।


(3) किराया-किश्त-क्रेता स्वामी की ओर किसी मांग के बिना किश्त कय अवधि की समाप्ति तक प्रत्येक मास के 01.09.2010 दिनांक प्रथम का केवल रु० 1,68,81,725.00 की मासिक/त्रैमासिक किश्त का भुगतान करेगा।

4. किराया-किश्त को आवंटन की योजना में यथा निर्धारित नगरपालिका के या अन्य प्रकार के सभी करों, फीस, प्रभार निर्धारित कर ऐसे अन्य उदग्रहण की धनराशि का, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, जो स्थानीय निकाय द्वारा या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकृत अभिकरण द्वारा उसके सम्बन्ध में भू-स्वामी या किरायेदार को एतद्वारा किराये पर दी गयी उक्त सम्पत्ति पर लगाई गयी हो, प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध प्राधिकारियों को भुगतान करेगा। किराया-क्रेता-स्वामी को सम्पत्ति कर, जल प्रभार, सीवर व्यवस्था के प्रभार का, जैसा कि स्वामी द्वारा समय-समय पर उदग्रहीत किया जाय, भुगतान करेगा।

[Signature]
आवदी

क्रमशः 5 पर

[Signature]
सहायक जिला आयुक्त
वृन्दावन योजना - लखनऊ



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

049052

14 OCT 20

(5)


परन्तु किराया—किश्त क्रेता की ओर से ऐसा भुगतान न किये जाने की दशा में स्वामी का ऐसी देय धनराशि को भू—राजस्व के बकाये के रूप में या ऐसी अन्य रीति से जो विधि संगत हो, वसूल करने और उसे किश्त के बकाये के रूप में मानने की शक्ति होगी ।

5. किराया—किश्त क्रेता ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई बात नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा जो स्वामी उसी कालोनी में या पडोस में या अन्य सम्पत्ति के अध्यासियों की राय में लोककण्टक हो और उसे प्रयोजन के अनुरूप न हो जिसके लिये योजना बनायी गयी है ।

[Signature]
आवदी

कमशः 6 पर

सहायक आयुक्त
वृन्दावन योजना - सखनक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

14 OCT 20


6. किराया-किश्त केता एतद्वारा स्वीकृत अवधि के दौरान सभी युक्तियुक्त समय पर स्वामी या स्वामी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किन्हीं व्यक्तियों को उक्त सम्पत्ति में और उस पर प्रवेश करने की मरम्मत की स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और यदि ऐसा निरीक्षण करने पर स्वामी को यह प्रतीत हो कि कोई साम्प्रतिक या विशेष मरम्मत आवश्यक है तो स्वामी किराया-किश्त केता के खर्च पर करवा सकता है और किराया-किश्त केता एतद्वारा स्वामी को ऐसी धनराशि का भुगतान करके जिसे स्वामी (जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा) इस निमित्त नियत करे, ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति करने की सहमति देता है परन्तु यह कि यदि किराया किश्त केता युक्तियुक्त समय के भीतर ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति न करे तो स्वामी उसके साथ-साथ उसकी वसूली के व्यय को भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने का हकदार होगा।

7. किराया किश्त केता स्वामी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उक्त सम्पत्ति में उस पर ऐसे कर्मकारों के साथ प्रवेश करने की अनुमति देगा जो पाइप- लाइन, सीवर लाइन या कोई विद्युत आपूर्ति लाइन या उससे सम्बन्धित किसी कार्य के लिये कोई सर्विस लाइन बिछाने, उसकी मरम्मत करने या उसे निश्चित स्थान पर लगाने के प्रयोजन के साथ-साथ उक्त सम्पत्ति में बिछाई गयी किसी सर्विस लाइन से किन्हीं अन्य सम्पत्ति को जोड़ने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो।

कमशः 7 पर

आबदी

सहायक आयुक्त
वृन्दावन योजना - लखनऊ



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

आदर्श कोषागार लखनऊ
लखनऊ कागज पर से जारी
14 OCT 2010
संकेत/कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार लखनऊ

(7)

8. किराया-किश्त केता स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना भी उक्त सम्पत्ति में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं करेगा और परिषद द्वारा पहले से स्वीकृत निर्माण पर कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन या करने की अनुमति नहीं देगा । परन्तु स्वामी अपने विवेकानुसार किसी परिवर्तन या परिवर्द्धन, चाहे जो भी हो, के लिये ऐसी अनुमति देने से इन्कार कर सकता है और उस निमित्त उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

9. किराया- किश्त केता , स्वामी की लिखित पूर्व सहमति के बिना जिसे वह अपने स्पष्ट विवेकानुसार अस्वीकृत करने का हकदार होगा , उक्त सम्पत्ति के सम्पूर्ण या किसी भाग का विक्रय ,अन्तरण,समनुदेशन नहीं करेगा या वंज्जे से अन्यथा अलग नहीं होगा ।

परन्तु सहमति दिये जाने की दशा में सम्पत्ति का ऐसा प्रत्येक अन्तरण समनुदेशन केवल इस किरायेदारी की शेष अवधि के लिए होगा और यथार्थिथि अन्तरिती या समनुदेशिती इसमें दिये गये निबन्धनों और शर्तों से अलब्ध होगा और उसकी सभी बातों के लिये स्वामी के प्रति उत्तरदायी होगा

कमशः 8 पर

(Signature)
आबदी

सहायक आयुक्त
वृन्दायन योजना - लखनऊ



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 005788

08 AUG 2010


सिद्धिचरण / कल्याण
आदर

(8)

परन्तु यह भी कि ऐसा कोई भी समनुदेशन या अन्तरण वैध या अनुमन्य नहीं होगा जहां समनुदेशिती या अन्तरिती कोई ऐसा व्यक्ति है जो योजना में यथा उपबन्धित पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा न करता हो ।

10. किराया-किश्त केता इस किरायेदारी की अवधि के दौरान इसमें नीचे दी गयी अनुसूची-दो में दिये गये किरायेदारी सम्बन्धी अनुबन्धनों का पालन करेगा ।

11. किराया-किश्त केता इस योजना के अधीन उसपर जाने वाले ऐसे सभी उत्तर दायित्वों का निर्वाहन करेगा जो इस विलेख के अंग समझे जायेंगे और इनके बारे में इस अनुबन्ध पत्र के पक्षकारों के बीच एतद्वारा सहमति है ।


आबंटि

कमशः 9 पर

सहायक आयुक्त
वृन्दावन योजना - लखनऊ



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 389655

(9)

12 किराया किश्त केता किसी भी स्तर पर किन्हीं कारणों से चाहे जो भी हो जैसा कि योजना में सम्पत्ति के विभव के सम्बन्ध में जिसके अन्तर्गत उसका स्वरूप और उसकी स्थिति उसक लिये अपनायी गयी विशिष्टया प्रयुक्त सामग्री और कारीगरी संरचना की स्थिरता और ठिकाऊ पर आवास का प्रकार साज सामान और अधिष्ठापन और अन्य सुविधाओं के साथ-साथ ऐसी अन्य सभी बातें भी उनसे उक्त सम्पत्ति बनी है स्पष्ट रूप से उपबन्धित है सम्पत्ती के बारे में ऐसी शिकायत करने से विरत रहेगा जिससे आपत्तिया उठे या दावे प्रस्तुत किये जाये।

क्रमशः 10 पर

26.8.1961
भवदी

सहायक अधीक्षक आयुक्त
वृन्दावन योजना - लखनऊ



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 207146

(10)


13 किराया-किश्त क्रेता अपने जीवन काल में लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर से ऐसे नाम निर्देशिनी को, जिसे वह उक्त सम्पत्ति में, जिससे उसकी मृत्यु हो जाने के स्थिति में भूखण्ड/भवन के भावी स्वामित्व में उसका अधिकार भी सम्मिलित है, अपना अंश या हित अन्तरित करना चाहे, नाम निर्दिष्ट करेगा और उसे आवास आयुक्त के पास जमा कर देगा स्वामी किराया-किश्त क्रेता की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर तदनुसार अन्तरण करेगा जो स्वामी और सार्वजनिक निकायों के प्रति किराया-किश्त क्रेता के समस्त विद्यमान दायित्वों और बध्यता के अधीन होगा। इस प्रकार किये गये नाम निर्देशन को विखण्डित किया जा सकता है और किराया-किश्त क्रेता उपर्युक्त रीति से उसके स्थान पर दूसरा नाम निर्देशन कर सकता है।

किन्तु किश्त क्रेता द्वारा ऐसा नाम निर्देशन न किये जाने पर क्रेता के वारिस/वारिसों को स्वामी द्वारा इस विलेख के हिताधिकारी/हिताधिकारियों के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

कमशः 11 पर

[Signature]
आवदी -

सहायक आयुक्त
वृन्दावन योजना - लखनऊ



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 207147

(11)

14. किराया किश्त क्रेता देयों का जिनका इस विलेख के अनुसरण में उसके द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है। पूरा और नियमित भुगतान करेगा। किश्तों के भुगतान के लिए उनके देय होने के दिनांक से एक मास की छूट दी जायेगी।

यदि भुगतान छूट की अवधि के भीतर न किया जाय तो किराया-किश्त क्रेता तदनुसार किश्तों के वस्तुतः देय होने के दिनांक से 21% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का देनदार होगा। लगातार तीन से अधिक किश्तों का भुगतान करने में व्यतिक्रम होने की दशा में, यह अनुबन्ध समाप्त समझा जायेगा और क्रेता को बेदखल किया जा सकेगा। स्वामी को देय समस्त बकाया धनराशि को भू-राजस्व के रूप में या ऐसी अन्य रीति से, जिसका विविध समर्थन करे, वसूल किया जा सकेगा।

क्रमशः 12 पर

[Signature]
आवेदी

सहायक आयुक्त
वृन्दावन योजना - लखनऊ


15 .यदि किराया-किश्त क्रेता सम्पत्ति या साझा भाग या साझा सेवाओं का उपयोग इस ढंग से करता है कि उसे क्षति पहुँचे या उसका क्षय हो या गलत कार्य के लिये उसका उपयोग हो, तो किराया-किश्त क्रेता ऐसी क्षति, क्षय होने या गलत उपयोग किये जाने के लिये स्वामी या पंजीकृत अभिकरण की तत्सम्बन्धी प्रभार का भुगतान करेगा ।


16 .यदि किराया-किश्त क्रेता किराया-किश्त कय की अवधि के समाप्त होने के पूर्व एतद्द्वारा स्वीकृत किरायेदारी को स्वतः समाप्त करना चाहे तो वह इसके लिये स्वामी को तीन महीने की नोटिस देगा और स्वामी सभी देयों के साथ-साथ इस अनुबन्ध के अनुसार किराया-किश्त क्रेता द्वारा किरायेदारी को इस प्रकार समाप्त के कारण होने वाली हानि की वसूली करेगा ।

17 .इसमें इसके पूर्व दी गयी किसी बात के होते हुये भी, यदि कोई जांच की जायगी तो यदि आवश्यक हो, सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई के पश्चात यदि स्वामी की राय में जिसका विनिश्चय अन्तिम और आध्यकर होगा, किराया किश्त-क्रेता द्वारा ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के आवंटन के लिये उसके द्वारा दिये गये आवंटन पत्र में कोई गलत बयान किया गया हो या किन्हीं सारवान तथ्यों का छिपाया गया हो तो स्वामी के लिये किराया-किश्त क्रेता को बेदखल करना और सम्पत्ति का कब्जा लेना विधि पूर्ण होगा और तब यह अनुबन्ध समाप्त समझा जायेगा । और किराया-किश्त क्रेता द्वारा इस प्रकार जमा की गयी धनराशि का स्वामी को समपहरण हो जायेगा ।

18.स्वामी एतद्द्वारा सहमत है कि किराया-किश्त क्रेता इस विलेख के अनुसार उसके द्वारा देय सभी भुगतान करके और इसमें दी गयी सभी शर्तों को पूरा करके और उनका पालन करके उक्त अवधि के दौरान स्वामी या उसके अधीन विधिपूर्वक दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधिपूर्ण विध्न या बाधा के सिवाय उक्त सम्पत्ति को किरायेदार के रूप में शान्तिपूर्वक ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा ।

कमशः 13 पर


आवंटी

सहायक  आयुक्त
वृन्दावन योजना - लखनऊ

(13)


19. स्वामी एतद्द्वारा किराया—किश्त क्रेता को किराया—किश्त कय की अवधि की समाप्ति के पश्चात विहित प्रपत्र में उसके साथ हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करके उक्त सम्पत्ति का अन्तरण करने के लिए सहमत है, परन्तु यह कि उसने ऐसे निष्पादन के पूर्व स्वामी को और सार्वजनिक निकायों को, यदि कोई हो, सभी देयों का भुगतान कर दिया हो। किराया—किश्त क्रेता इसके बाद किरायेदार नहीं रहेगा और पैरा 5 में यथा उपबन्धित निष्पादित किये जाने वाले हस्तान्तरण विलेख के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सम्पत्ति का सम्पत्ति के रूप में स्वामी हो जायेगा।


20-हस्तान्तरण विलेख सामान्यतः स्वामी द्वारा किराया—किश्त कय की अवधि की समाप्ति के पश्चात निष्पादित किया जायेगा, फिर भी यदि किराया —किश्त क्रेता ने इसके पूर्व किरायेदारी समाप्त करने और सम्पत्ति का स्वामित्व उसमें निहित करने के लिए आवेदन किया हो और यदि किराया —किश्त क्रेता स्वामी द्वारा, (जिसका विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा) की गई संगणना के अनुसार पूरा भुगतान कर देता है, तो स्वामी हस्तान्तरण—विलेख निष्पादित करेगा। निष्पादन और निबन्धन व्यय का वाहन किराया किश्त क्रेता द्वारा किया जायेगा।

21- यदि उक्त विनियमों और उनके अधीन किये गये अनुबन्ध की शब्दावली के निर्वचन के या अनुबन्ध के अनुसार किये गये या किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी विनिश्चय के बारे में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न हो तो आवास आयुक्त विनिश्चय करेंगे और किराया—किश्त क्रेता के लिए संयुक्त रूप से या पृथक्—पृथक् ऐसा विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा।

22. इस अनुबन्ध में प्रवृत्त रहने के दौरान इस अनुबन्ध में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, स्वामी को इस अनुबन्ध के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्ति के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार, जीवन बीमा निगम और आवास एवं विकास निगम लिमिटेड या किसी अन्य अभिकरण या संगठन के पक्ष में उक्त सरकार, निगम अभिकरण या संगठन के विभिन्न आवासीय और

क्रमशः 14 पर


आवासीय


सहायक आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना - लखनऊ

(14)

ग्रुप हाउसिंग योजनाओं को प्रारम्भ करने के लिए स्वामी द्वारा पहले ही प्राप्त किये गये या इस अनुबन्ध के निष्पादन के पश्चात् प्राप्त किये जाने वाले ऋणों की प्रतिभूति के लिए बन्धक या प्रभार का सृजन करने का अधिकार होगा। किराया किश्त केता इस शर्त से सहमत है और ऐसे प्रभार के सम्बन्ध में कोई आपत्ति चाहें किसी प्रकार की हो, न उठाने का बचन देता है।

23. किराया किश्त केता आवंटन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा कराएगा।

24. प्रस्तावित निर्माण कार्य का नक्शा आवंटी द्वारा परिषद के समक्ष प्राधिकारी से अनुमोदित कराया जायेगा।

(1) फर्म ने भूखण्ड के कुल मूल्य के 07 प्रतिशत का स्टाम्प शुल्क जिसे चालान संख्या G040038 दिनांक 15.10.2010 द्वारा आदा है। प्रमाण पत्र रूपया 65,00,000.00 (रूपये पैसठ लाख मात्र) मुख्य कोषाधिकारी लखनऊ द्वारा स्टाम्प शुल्क आदयगी हेतु निर्गत प्रमाण पत्र दिनांक 12.04.2010 मूलरूप में किश्त किराये दारी अनुबन्ध के साथ संलग्न है।


(2) फर्म ने भूखण्ड के कुल मूल्य के 07 प्रतिशत का स्टाम्प शुल्क जिसे चालान संख्या G070038 दिनांक 24.09.2010 द्वारा आदा है। प्रमाण पत्र रूपया 2,93,000.00 (रूपये दो करोड़ तिरान्नबे लाख मात्र) मुख्य कोषाधिकारी लखनऊ द्वारा स्टाम्प शुल्क आदयगी हेतु निर्गत प्रमाण पत्र दिनांक 12.04.2010 मूलरूप में किश्त किराये दारी अनुबन्ध के साथ संलग्न है।


अनुसूची- 1

वृन्दावन योजना लखनऊ स्थित निर्माण खण्ड-03 के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड जिसकी संख्या 9D/GH-1 एवं भूमि का क्षेत्रफल 44,609.67 वर्गमी० है। सम्पत्ति की सीमा निम्नलिखित है :

उत्तर—	24.00 मीटर चौड़ी सड़क	उत्तर संलग्न साइट प्लान के अनुसार
पूर्व—	6.00 मीटर चौड़ी सड़क	पूर्व संलग्न साइट प्लान के अनुसार
दक्षिण—	18.00 मीटर चौड़ी सड़क	दक्षिण संलग्न साइट प्लान के अनुसार
पश्चिम—	24.00 मीटर चौड़ी सड़क	पश्चिम संलग्न साइट प्लान के अनुसार

कमश: 15 पर


आवंटी


सहायक आयुक्त
वृन्दावन योजना - लखनऊ

(15)

इस किराया किश्त कय अनुबन्ध पर परिषद की ओर से श्री अनिल कुमार, सहायक आवास आयुक्त ने तथा आवटी मैसर्स ओमनी फर्मस प्राइवेट लि० द्वारा श्री टी०के०दीक्षित आशयिता 9D/GH-1 ने स्वयं स्वेच्छा से हस्ताक्षर किये हैं।

अनुसूची-2

इस अनुबन्ध पत्र पर इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों के उपरोक्त दिनांक, मास और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किए :-

स्थान लखनऊ

दिनांक

प्रथम साक्षी हस्ताक्षर

1-हस्ताक्षर : *I.H. Siddiqui*

2-नाम : I.H. Siddiqui

3-पता : 1st floor, 1st floor corporate chamber / Vibhuti Khera, Ganga Nagar Lko. किराया किश्त केता का सुपाठ्य हस्ताक्षर और पता)

द्वितीय साक्षी हस्ताक्षर

1-हस्ताक्षर : *Umesh*

2-नाम : Umesh Chandra, Manager

3-पता : 568K/अ, Krishna/pali, Ambabagh, Lucknow

1- हस्ताक्षर: *26/5/2016*

2-नाम:-मैसर्स ओमनी फर्मस प्रा०लि० द्वारा टी०के०दीक्षित

3-पता:-21-A, अशोक एवन्स आवंटी अशोक मार्ग, लखनऊ।

प्रथम साक्षी

1-हस्ताक्षर : *Splu*

2-नाम :

3-पता : *Acet*

परिषद की ओर से एवं उसके लिए

द्वितीय साक्षी

1-हस्ताक्षर : *Uw*

2-नाम :

3-पता :

सहायक आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना - लखनऊ


वृन्दावन योजना संख्या-2 भाग-2 लखनऊ में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 9D/GH-1, जिसमें कुल क्षेत्रफल 44609.67 वर्ग मीटर है। जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा वृन्दावन योजना लखनऊ हेतु निर्धारित भूमि दर रु० 8500.00 एवं 24.00 मीटर चौड़ी सड़क पर कार्नर भूखण्ड होने की दशा में 35 प्रतिशत अतिरिक्त रु० 2975.00 कुल रु० 11,475.00 प्रति वर्ग मीटर है। उक्त भूखण्ड लखनऊ-रायबरेली मुख्य मार्ग से 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। भूखण्ड में समाविष्ट भूखण्ड का क्षेत्रफल 44,609.67 वर्ग मीटर की मालियत रु० 51,18,95,964.00 है। परिषद द्वारा मालियत रु० 26,25,33,711.00 है, एवं जिलाधिकारी द्वारा मालियत रु० 51,18,95,964.00 जिसपर 7% की दर से रु० 3,58,32,800.00 के स्टाम्प पर किराया किश्त कय अनुबन्ध निष्पादित किया जा रहा है।

अनुसूची-तीन

(किराया-किश्त कय अनुबन्ध का अनुलग्नक)

किराया- किश्त कय के उपबन्ध

- (1) यह उपबन्ध किराया किश्त केता पर लागू होंगे जो और जिसके साथ-साथ उसके ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का प्रत्येक उपयोगकर्ता संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक उनका पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) किराया किश्त केता अपने ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के कूड़े, रद्दी कागजों, बुहारन, रद्दी सामान और इसी प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए एक पात्र रखेगा और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी बेकार चीजों को एक ऐसे पात्र में डालेगा और कहीं अन्यत्र नहीं डालेगा।


आवंटी

कमश: 17 पर


सहायक निवासी आयुक्त
वृन्दावन योजना - लखनऊ

(17)

(3) ऐसे पात्र में पड़ी हुई सामग्री को प्रतिदिन उसे रास्ते में बिखराये बिना, इस प्रयोजन के लिए आरक्षित स्थान पर डाला जायेगा।

नोट:- उक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 9D/GH-1 का कुल मूल्य रू० 26,25,33,711.00 पर नियमानुसार 7% की दर से स्टाम्प अदा किया जा रहा है।

हस्ताक्षर



नाम:-मैसर्स ओमनी फर्मस प्रा०लि०

द्वारा श्री टी०के०दीक्षित आलंदी

पता:- 21-A, अशोक एवन्यू अशोक मार्ग, लखनऊ।

(अनिल कुमार)


सहायक आयुक्त आवास आन्दोलन
सहायक आयुक्त आवास आन्दोलन
वृन्दावन योजना - लखनऊ

क्रमशः 18 पर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(18)



In pursuance of the order of the Collector No. 72

dated 12-04-2010

passed under Section 10-A of the Stamp Act, It is certified that an amount of Rs. 2,93,00,000/- (Rupees Two Crore Ninety Three Lacs only) has been paid by Omni Farms Private Limited, as stamp duty in respect of this instrument in the State Bank of India, Govt. Business Branch, Lucknow by Challan No. 6070038 dated. 24-09-10 A copy of which is annexed herewith.

Dated : 27-09-10

Chief Treasury Officer


Lucknow

प्रिय रंजन कुमार
मुख्य कोषाधिकारी
कलेक्ट्रेट, लखनऊ

आनंदी

सहायक प्रोप्रास आयुक्त
दुग्धावन योजना - लखनऊ

प्रमश्री: 1952



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(19)

In pursuance of the order of the Collector No. 72

dated

12-04-2010

passed under Section 10-A of the Stamp Act, it is certified that an amount of ₹65,00,000/- (₹ Sixty Five Lacs Only) has been paid by Omni Farms Private Limited, as stamp duty in respect of this instrument in the State Bank of India, Govt. Business Branch, Lucknow by Challan No. 6040038 dated 15-10-10. A copy of which is annexed herewith.

Dated : 18-10-10

[Signature]
आचार्य

Chief Treasury officer

Lucknow

18/10/10

प्रिय रंजन कुमार
मुख्य कोषाधिकारी
कलेक्ट्रेट, लखनऊ

सहायक अतिरिक्त आयुक्त
वृद्धावन योजना - लखनऊ

क्रम संख्या

संस्थापन विभाग की तिथि

प्रयोजन

संस्थापन के नाम व पता

संस्थापन की धनराशि

प्रभा त्रिपाठी ला० नं० 255

ला० की अवधि 31-03-2011 कोलेक्ट लखनऊ
विक्रय अनुबंध विलेख (कब्जा)

11,895,964.00

76,360,991.00

10,000.00

40

10,040.00

2,000

प्रतिफल

मालियत

अग्रिम धनराशि

फीस रजिस्ट्री

नकल व प्रति शुल्क

योग

शब्द लगभग

श्री मे०आएमनी फ० प्रा०लि० द्वारा टी० के० दीक्षित

पुत्र श्री स्व० सी० एस० दीक्षित

व्यवसाय नौकरी

निवासी स्थायी 21-ए अशोक एवम् अशोक मार्ग लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 20/10/2010 समय 5:20PM

वजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी.के.सिंह

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

20/10/2010

निष्पादन लेखपत्र वाद संने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता केला

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन
श्री उ० प्र० आ० वि० प० द्वारा अनिल कुमार सहा० आ० आ०
ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिये उनकी उपस्थिति
और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है, और लेखपत्र
रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

श्री मे०आएमनी फ० प्रा०लि० द्वारा टी० के० दीक्षित
पुत्र श्री स्व० सी० एस० दीक्षित
पेशा नौकरी
निवासी 21-ए अशोक एवम् अशोक मार्ग लखनऊ

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री आई० एच० सिद्दीकी

पुत्र श्री स्व० क्यू० एच० सिद्दीकी

पेशा नौकरी

निवासी 538क/613झिंवेणी लगर -1 सीतापुररोड लखनऊ

व श्री हरी मोहन योजना आ० वि० प०

पुत्र श्री

पेशा नौकरी

निवासी

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के मिशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी.के.सिंह

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

20/10/2010



: - 2440536(Off.) .

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER C.D. - 3
(I.S.O.-9001:2000 CERTIFIED BOARD)

U.P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD VRINDAVAN SCHEME No.-2,
H.No. 2C/117,118 &119, RAI BEARILLY ROAD, LUCKNOW.

SITE PLAN OF PLOT/HOUSE No.9-D/G.H.-1 SECTOR-9-D
AT VRINDAVAN YOJNA No.-2 LUCKNOW.



OWNER SRI. /SMT.

SIDE	A	B	C	S	AREA
A	135.0	146.0	262.0	271.50	6647.14
B	262.0	181.0	275.0	359.00	22818.27
C	275.0	136.0	245.0	328.00	16644.26

TOTAL AREA 46,109.67 SQ.M.

LESS - 50.00 X 30.00 = 1500.00

NET AREA = 44,609.67 SQ.M.



21/9/10
D/MAN

J.E.

A.E.

सहायक आयुक्त
वृन्दावन योजना - लखनऊ

11/11



क्रेता

Registration No. : 17353

Year : 2,010

Book No. : 1


0201 मे0आएमनी फ0 प्रा0लि0 द्वारा टी0 के0 दीक्षित
स्व0 सी0 एस0 दीक्षित
21-ए अशोक एवम् अशोक मार्ग लखनऊ
नौकरी



रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/क्रेता का नाम व पता :- मेसर्स अमिता फार्मस प्रा० लिमिटेड द्वारा श्री टी० के० वी० दीक्षित
21-17 अशोक स्थान्य दत्तशोक मार्ग लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




मेसर्स अमिता फार्मस प्रा० लिमिटेड
प्रस्तुतकर्ता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम व पता :- श्री अनिल कुमार
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना, लखनऊ

सहायक आवास आयुक्त/ सम्पत्ति प्रबन्धक

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



अनिल कुमार
सहायक आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना - लखनऊ

आज दिनांक 20/10/2010 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 12053

पृष्ठ सं. 303 से 348 पर क्रमांक 17353

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।


रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी .के.सिंह


उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

20/10/2010



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



CN 501371
01 SEP 2015

उप. आवास एवं विकास
योजना, लखनऊ

17353/10
35032700/2

2-4-16

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 01 माह 04 वर्ष 2016 की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् पश्चात् 'परिषद्' कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिणी है और सम्मिलित हैं।

कमशः 2 पर

क्रेता

विक्रेता



आई एन ओ प्रमाणित सत्य

कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्
आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-९, प्रथम तल, वृन्दावन योजना, लखनऊ

संख्या.....

/सं०प्र० वृन्दावन योजना

दिनांक.....

सेवा में,
 मैसर्स ओमने कार्पोरेशन लि० द्वारा श्री वृन्दावन इमारत लि० अ.पी.सी. लि० द्वारा
 पत्रा-पत्रिका प्रतीकित कार्यालय २०१-२१२, प्रथम तल, एच.ए. कोरम, अखोला
 मैसर्स एच.ए. कोरम लि० लि० - ११००२५, कोरम अफिस-प्रतीकित कार्यालय
 चेम्बर-५२२२, वृन्दावन योजना, लखनऊ-२२६०१०
 विषय : भूदान/भूखण्ड संख्या ९९/६११-१ के विक्रय विलेख के पंजीयन के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि आपके पक्ष में आवंटित भूदान/भूखण्ड संख्या ९९/६११-१
 का विक्रय विलेख/किराया क्रय विलेख रु० १०० = ० के स्टाम्प पर निष्पादित कर दिया गया है जो कि
 मूल रूप में एवं एक छायाप्रति के साथ अन्य सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न कर इस आशय से दिया/भेजा जा रहा है कि कृपया २५ दिन के
 अन्दर सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में उपस्थिति होकर विलेख पंजीकृत कराकर विलेख की एक प्रमाणित प्रति तीन
 दिवसों के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि भूदान/भूखण्ड का कब्जा पत्र भौतिक कब्जे हेतु निर्गत किया जा सके अन्यथा
 परिषद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

उप आवास आयुक्त
 वृन्दावन योजना, लखनऊ

पु०स० ३७२६ /उक्त/

तद् दिनांक ०१/५/१६

प्रतिलिपि : सब रजिस्ट्रार लखनऊ को उक्त सूचनार्थ
 एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप आवास आयुक्त
 वृन्दावन योजना, लखनऊ

एक पक्ष और मैसर्स ओमनी फार्म्स प्राइवेट लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री तीरथ राज सिंह पता:—जिसका पंजीकृत कार्यालय 201-212, द्वितीय तल, स्पलेन्डर फोरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर न्यू दिल्ली-110025, कार्पोरेट आफिस— द्वितीय तल, एल्लिको कारपोरेट चेम्बर—प्रथम विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 जिसके एतदपश्चात पंजीकृत इच्छुक क्रेता कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक क्रेता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि :-

चूंकि उक्त परिषद भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर लखनऊ तहसील लखनऊ जिला लखनऊ में वृन्दावन योजना संख्या-2 भाग-2 नामक मुहल्ले के सेक्टर 9D में स्थित गुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या- 9D/GH-1 का व्यय है और चूंकि उक्त परिषद ने रु० 262533711.00 (रु० छब्बीस करोड़ पच्चीस लाख तैतीस हजार सात सौ ग्यारह मात्र) जिसका आधा रु० 131266855.50 (रु० तेरह करोड़ बारह लाख छाछह हजार आठ सौ पचपन मात्र) होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त सम्पत्ति (संख्या-9D/GH-1) को, जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची "क" में उल्लिखित है। (जिसे एतदपश्चात उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्धन और शर्तों के अधीन कय करने के लिए सहमत है। अतएव अब रु० 262533711.00 (रु० छब्बीस करोड़ पच्चीस लाख तैतीस हजार सात सौ ग्यारह मात्र) की धनराशि के प्रतिफलस्वरूप और सभी सम्बद्ध पक्षों के लिए इसमें एतद्वारा वृन्दावन योजना लखनऊ में स्थित सम्पूर्ण सम्पत्ति और संरचना (सम्पत्ति सं० 9D/GH-1) जिसे नीचे दी गई अनुसूची में और अधिक पूर्णरूप से वर्णित किया गया है, इच्छुक क्रेता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विक्रय और अन्तरित करती है:-

क्रमशः 3 पर

क्रेता

विक्रेता

(1) परिषद को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद का गठन किया गया था, एतद् द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।

(2) एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।

(3) उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक क्रेता को कब्जा पत्र प्रदत्त किया जा चुका है।

(4) इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद द्वारा या उक्त परिषद के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।


(5) यदि इच्छुक क्रेता एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों कारण या उक्त परिषद के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद इच्छुक क्रेता को युक्ति युक्त सीमा तक हानि, क्षति और खर्च की क्षति पूर्ति करेगी।

(6) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे उक्त परिषद द्वारा यथा प्रस्तावित भूखण्डों और मकानों के इच्छुक क्रेताओं को पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन कय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय-समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं :-

(क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक क्रेता को इसकी वर्तमान दशा में किया गया है और इच्छुक क्रेता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।

कमश: 4 पर

क्रेता



विक्रेता

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान जागेश्वर द्विवेदी
स्व० एस० आर० द्विवेदी

पेशा नौकरी

निवासी एमआईजी 23 से० जी० जानकीपुरम लखनऊ

व मो० एखलाक योजना सहा० आ० वि० प०

पेशा नौकरी

निवासी

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।




श्री प्रताप

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस. बी. सिंह
उपनिबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

2/4/2016




(ख) इच्छुक क्रेता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल ग्रुप हाउसिंग प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

(7) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ कय किया है कि इच्छुक क्रेता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा और यह कि इच्छुक क्रेता उक्त परिषद की कालोनी में सड़को, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अंशदान के लिए भी, जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक क्रेता द्वारा परिषद को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति (संख्या - 9D/GH-1) पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद उक्त धनराशि को 18% (अट्ठारह प्रतिशत) की दर से ब्याज सहित पंजीकृत क्रेता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।

(8) पंजीकृत इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति का उपयोग ग्रुप हाउसिंग प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगी और वह विक्रय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगी।

(9) इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक क्रेता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त सम्पत्ति संख्या- 9D/GH-1 स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि या उसके बगल में स्थित भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक संक्रमित नहीं होगा या संक्रमित नहीं समझा जायेगा।

क्रेता



क्रमशः 5 पर

विक्रेता

विक्रय पत्र

118,959,964.00 / 5,118,960,000.00

20,000.00

60

20,060.00

20

प्रतिफल

मालियत

फीस रजिस्ट्री

नकल व प्रति शुल्क

योग

पृष्ठों की संख्या

श्री मे, ओमनी फार्मसप्रा0 लि0 द्वारा अधि0 ह, वृजेन्द्र कुमार सिंह
पुत्र श्री तीरथ राज सिंह

व्यवसाय नौकरी

निवासी स्थायी द्वितीय, तल एलडिको कारपोरेट विमूतिखन्ड गोमती नगर लखनऊ
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 2/4/2016 समय 3:04PM

वजे निवन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.बी.सिंह
उप निबन्धक(प्रथम)

लखनऊ

2/4/2016

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्ति धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता

क्रेता

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन
श्री उ0 प्र0 आ0 लि0 प0 द्वारा डा0 अनिल कुमार उप आ0
ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिये उनकी उपस्थिति
और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है, और लेखपत्र
रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

श्री मे, ओमनी फार्मसप्रा0 लि0 द्वारा अधि0 ह, वृजेन्द्र
कुमार सिंह
पुत्र श्री तीरथ राज सिंह
पेशा नौकरी
निवासी द्वितीय, तल एलडिको कारपोरेट विमूतिखन्ड
गोमती नगर लखनऊ



(10) केता ने विलेख में दिए गये निबन्धन और शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विक्रय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धों और शर्तों के अधीन होंगे।

(11) ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों से सम्बन्धित सभी नियम व शर्तें जो समय-समय पर लागू हो, मान्य होगी।

जिसके साक्ष्य में श्री डा० अनिल कुमार, उप आवास आयुक्त ने परिषद के लिए और उसकी ओर से और मैसर्स ओमनी फर्मर्स प्राइवेट लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री तीरथ राज सिंह आशयिता संख्या 9D/GH-1 ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के केता ने स्वयं खरीदार के रूप में स्वेच्छा और सम्पत्ति से किसी प्रभाव या प्रपीड़न के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एतद्वारा अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

नोट:- (1) ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का कुल विक्रीत मूल्य रु० 262533711.00 के सापेक्ष फर्म द्वारा परिषद कोष में सब्याज पूर्ण भुगतान कर किया गया है।

नोट:- (2) यह कि विक्रीत सम्पत्ति के सम्बन्ध में किराया के अनुबन्ध व कब्जा विलेख दिनांक 20-10-2010 के समय विक्रीत भूमि 44609-67 स्वचायर मीटर पर सर्किल दर से निर्धारित मालियत रु० 511895964.00 पर 7% की दर से रु० 35832800.00 स्टाम्प, शुल्क के रूप में अदा किया जा चुका है। जो कि उप निबन्धक (प्रथम) लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 20/10/2010 को बही सं० 1 जिल्द सं० 12053 पृष्ठ सं० 303 से 348 पर क्रमांक 17353 पर पंजीकृत है इस प्रकार विक्रीत सम्पत्ति की मालियत पर कब्जे से पूर्व पूर्ण स्टाम्प शुल्क अदा किया जा चुका है एवं सम्पत्ति का कब्जा सम्बन्धित को हस्तगत कराया जा चुका है। अतः अब मात्र रु० 100.00 मूल्य पर उक्त विक्रय विलेख निष्पादित किया जा रहा है।

क्रमशः 6. पर

केता

क्रेता

Registration No. : 6162

Year : 2,016

Book No. : 1

0201 मे, ओमनी फार्मसघा0 लि0 द्वारा अधि0 ह, बृजेन्द्र कुमार सिंह
तीरथ राज सिंह
द्वितीय. तल एलडिओ कारपोरेट मिभूतिखन्ड गोमती नगर लखनऊ
नौकरी



(6)

अनुसूची "क"
विक्रय की गई सम्पत्ति की अनुसूची

सम्पत्तिसं० श्रेणी 9D/GH-1 ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड क्षेत्रफल 44609.67 वर्ग मीटर

सीमाएँ:-

उत्तर-24.00 मीटर चौड़ी सड़क
दक्षिण- 6.00 मीटर चौड़ी सड़क
दक्षिण- 18.00 मीटर चौड़ी सड़क
पश्चिम- 24.00 मीटर चौड़ी सड़क

उत्तर-संलग्न साइट प्लान के अनुसार
दक्षिण- संलग्न साइट प्लान के अनुसार
पूर्व- संलग्न साइट प्लान के अनुसार
पश्चिम- संलग्न साइट प्लान के अनुसार

1-साक्षी:1-हस्ताक्षर
2-नाम
3-पता

विक्रेता के लिए और उसकी ओर से

2-साक्षी:1-हस्ताक्षर
2-नाम
3-पता

उप आवास आयुक्त

(कृते आवास आयुक्त)

विक्रेता



1-साक्षी:1-हस्ताक्षर
2-नाम
3-पता

क्रेता के लिए और उसकी ओर से

2-साक्षी:1-हस्ताक्षर

2-नाम
3-पता

1-हस्ताक्षर

क्रेता



2-नाम मैसर्स ओमनी फार्मस प्राइवेट लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री तीरथ राज सिंह पता:-जिसका पंजीकृत कार्यालय 201-212, द्वितीय तल, स्पलेन्डर फोरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर न्यू दिल्ली-110025, कार्पोरेट आफिस-द्वितीय तल, एलिडको कार्पोरेट चेम्बर-प्रथम विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010



योजना सहायक
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
वृन्दावन योजना, लखनऊ
मो० एखलाक

गवाह

Registration No.: 6162

Year: 2016

Book No.: 1

W1 जागेश्वर द्विवेदी

स्व० एस० आर० द्विवेदी

एमआईजी 23 से० जी० जानकीपुरम ळखनऊ

नौकरी



W2 मो० दखलाक योजना सहा० आ० वि० प०

नौकरी





OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER C.D. - 3

U.P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD

OFFICE COMPLEX, III FLOOR,



9A, VRINDAVAN SCHEME No.-2, PART-2, LUCKNOW.

SITE PLAN OF PLOT/HOUSE No. 9-D/G.H-1 SECTOR-9-D
AT VRINDAVAN YOJNA No.2/4, LUCKNOW.

OWNER SRI./SMT. ओमनो फार्मस प्रा० लि०

PLOT SIZE ———

PLOT AREA - 44,609.67 SQ.M.



रजिस्ट्री हेतु निर्गत

रजिस्टर क्रमांक 79 दि. 09/11/15

08/10/15
D/MAN

Raviukh
J.E.

08/10/15
A.E.

क्रेता

विक्रेता

आज दिनांक 02/04/2016 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 20576

पृष्ठ सं. 305 से 324 पर कर्मांक 6162

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.बी. सिंह

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

2/4/2016

